भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5571

27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बाल स्वास्थ्य प्रभाग का कामकाज

5571. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बाल स्वास्थ्य प्रभाग (चाइल्ड हेल्थ डिवीजन) देश में नवजात, शिशु और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है और देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में और विशिष्ट रूप से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर के अंतर्गत उक्त कार्यक्रमों और योजनाओं से लाभान्वित बच्चों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या कुपोषण, टीकाकरण, जन्मजात रोगों की जांच और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधनों, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स (एमएचयू), विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से बाल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) स्वास्थ्य मंत्रालय में बाल स्वास्थ्य प्रभाग की स्थापना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) रणनीति के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों के कार्यान्वयन के माध्यम से बाल उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और विकास में सुधार लाने तथा नवजात, शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के उद्देश्य से की गई है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए किए गए कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत नकद प्रोत्साहन के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना;
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के तहत गर्भवती माताएं और एक वर्ष तक के बीमार शिशु सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त उपचार के साथ-साथ मुफ्त परिवहन, जांच, दवाएं, रक्त और उपभोग्य सामग्रियों की सुविधा के हकदार हैं;
- बीमार और छोटे शिशुओं को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए जिला और उप-जिला स्तर पर नवजात गहन परिचर्या इकाइयों (एनआईसीयू)/विशेष नवजात परिचर्या इकाइयों (एसएनसीयू) और नवजात स्थिरीकरण इकाइयों (एनबीएसयू) की स्थापना;
- शिशु पालन प्रथाओं में सुधार के लिए आशा कर्मियों द्वारा प्रदान की जाने वाली गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी) और गृह आधारित छोटे बच्चों की परिचर्या (एचबीवाईसी);
- शीघ्र स्तनपान शुरू करने और शुरुआती छह महीनों तक केवल स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम (एमएए);
- बच्चों में डायरिया प्रबंधन के लिए डायरिया रोकथाम के अभियान के तहत ओआरएस और जिंक का प्रचार-प्रसार;
- निमोनिया को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (एसएएएनएस)के तहत निमोनिया की शीघ्र जांच, पहचान और प्रबंधन;
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत, बच्चों को 12 टीका-निवारक रोगों से बचाने के लिए 11 टीके उपलब्ध कराना;
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और जन्मजात विकारों, बीमारियों, कमियों और विकास में देरी के लिए प्रारंभिक अंतःक्षेप सेवाएं प्रदान करता है ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

विभिन्न बाल स्वास्थ्य योजनाओं के तहत लाभान्वित बच्चों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) कुपोषण को दूर करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को लागू करता है, जो एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान करना है, जिसमें बेहतर पोषण सामग्री, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ और आंगनवाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत, सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 टीका-निवारक रोगों (वीपीडी) के विरुद्ध 11 टीके मुफ्त में उपलब्ध कराती है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों में जन्मजात दोष, रोग, कमियां और विकासात्मक विलंब (4डी) की शीघ्र पहचान और प्रबंधन करना है। जिन बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं, उन्हें प्रारंभिक अंतःक्षेप सेवाएं और अनुवर्ती देखभाल प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें दुर्गम और अल्पसेवित क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की व्यवस्था, विशेषज्ञ और संविदा आधार पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति, स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण शामिल है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र, जिसमें रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, को दी जाने वाली सहायता राज्य सरकार द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर और मानदंडों के अनुसार अनुमोदन के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक

दिनांक 27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5571 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

कार्यक्रम/योजना का नाम	विवरण	लाभार्थियों की संख्या वित्तीय वर्ष 25-26 (फरवरी 2026 तक)			
		मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	झाबुआ	रतलाम
आरबीएसके (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य) कार्यक्रम	आरबीएसके मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा जांच किए गए बच्चों की संख्या	10224333	81123	121026	112936
यूआईपी (सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम)	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पूरी तरह से टीका लगाए गए बच्चों की संख्या	1684692	17494	33124	31452
एचबीएनसी (गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल)	लाभार्थियों की संख्या- नवजात शिशु (आशा कार्यक्रम-एचबीएनसी के तहत)	1017413	14688	28552	20850
एचबीवाईसी (गृह आधारित युवा बाल देखभाल)	लाभार्थियों की संख्या- शिशु (आशा प्रोग्राम- एचबीवाईसी के तहत)	3274530	53141	78753	68335
एसएनसीयू (विशेष नवजात देखभाल इकाई)	एसएनसीयू में इलाज किए गए लाभार्थियों-नवजात शिशुओं की संख्या	129256	1911	2506	1906
एनबीएसयू (नवजात स्थिरीकरण इकाई)	एनबीएसयू में इलाज करा रहे लाभार्थियों-नवजात शिशुओं की संख्या	43080	383	1400	714
पीआईसीयू (बाल गहन चिकित्सा इकाई)	पीआईसीयू में इलाज करा रहे लाभार्थियों - बच्चों की संख्या	110253	334	1279	1896
एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र)	एनआरसी में भर्ती लाभार्थियों की संख्या	75222	1396	1721	1477
एएमबी (आयुष्मान भारत)	एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत आईएफए अनुपूरण के लिए लाभार्थियों की संख्या (6 महीने से 19 वर्ष बच्चे और किशोर)	12861837	213581	290817	230631
एनडीडी (राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस)	नेशनल डीवॉर्मिंग डे प्रोग्राम के तहत एल्बेंडाजोल लेने वाले लाभार्थियों की संख्या (1 से 19 साल के बच्चे और किशोर)	28336002	357712	621733	570501
वीएएस (विटामिन ए अनुपूरण)	विटामिन ए अनुपूरण के तहत लाभार्थियों की संख्या (9 महा से 5 साल के बच्चे)	7080051	71670	135815	138016
माँ (माँ का पूर्ण स्नेह)	नवजात और बाल पोषण की उचित प्रथाओं पर आशाकर्मियों द्वारा परामर्शित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या	2485688	33303	2990	6132
आरकेएसके	एएफएचसी के अंतर्गत कुल पंजीकृत आरकेएसके ग्राहक	554744	11475	20610	6670
